विद्यालय प्रबन्ध समिति सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री

शाश्वत सहभागी संस्थान एक अलाभकारी स्वैच्छिक संगठन है जोकि पंचायती राज, शिक्षा, स्वास्थ्य बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं संगठन निर्माण के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए प्रयासरत है।

आयोजक/पता– शाश्वत सहभागी संस्थान
मो0 रन्नूपुर मिश्रिख–सीतापुर
मो0 9455812292

सहयोगः– टाटा सोसल बेल्फेयर ट्रस्ट मुम्बई

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की मुख्य बातें

बच्चों के अधिकारः

✪ कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा पूरी करने हेतु बच्चो से विद्यालय में किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जायेगी।

✪ प्रत्येक बच्चे को पढ़ाई पूरी करने हेतु निःशुल्क किताबें तथा ड्रेस आदि उपलब्ध कराई जायेगी।

✪ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष शिक्षा के लिए अतिरिक्त सहायक उपकरण यथा–ब्रेल लिपि, सुनने को मशीन ट्राइसाइकिल आदि उपलब्ध करायी जायेगी।

✪ 6 वर्ष से ज्यादा उम्र के ऐसे बच्चे जिनका किसी विद्यालय में दाखिला नहीं हो पाया है, बीच में विद्यालय छोड़ चुके हैं या कक्षा 8 तक शिक्षा पूरी नहीं कर पाये हैं तो उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक उपयुक्त कक्षा में दाखिला दिया जायेगा।

✪ दाखिला के पश्चात कक्षा में दूसरे बच्चों के बराबर आने के लिए विशेष प्रशिक्षण का अधिकार होगा। विशेष प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 3 माह की होगी। बच्चे को सीखने की प्रगति के आधार पर यह अवधि अधिकतम 02 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। किसी भी बच्चे को न फेल किया जायेगा और न ही किसी कक्षा में रोका जायेगा।

✪ बच्चों को विद्यालय में किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड देना मानसिक यातना देना, जाति, धर्म, बालक–बालिका के आधार पर भेद भाव करना गैर कानूनी होगा।

✪ सभी बच्चों को कक्षा के अन्दर तथा बाहर समान व्यवहार व मौके पाने का कानूनी हक होगा। कमजोर एवं साधनहीन वर्ग के बच्चों को कक्षा के अन्य बच्चों से अलग नहीं किया जायेगा।

✪ विद्यालय में किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। उसकी जगह सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

✪ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से 03 माह के अन्दर अर्थात 30 सितम्बर तक बच्चों का नामाकंन किया जायेगा परन्तु इसके बाद भी किसी बच्चे का नामांकन करने से मना नहीं किया जायेगा। 30 सितम्बर के बाद नामांकित बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

✪ उम्र के सबूत के अभाव में भी बच्चे को दाखिला पाने का अधिकार होगा। निम्न दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को बालक की आयु के प्रमाण के रूप में समझा जायेगा–

(1) अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिड वाइफ पंजी अभिलेख

(2) आंगनबाड़ी का अभिलेख

(3) जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी ग्राम पंजी

(4) माता–पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु की शपथ पत्र के माध्यम से घोषणा

✪ हर माता–पिता अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चें या आश्रित का नामांकन/दाखिला पड़ोस के विद्यालय में करायें।

अध्यापकः–

✪ कक्षा 1 से 5 तक के हर स्कूल में 60 बच्चों तक दो अध्यापक, 61–90 तक 3 अध्यापक, 91–120 के मध्य 04 अध्यापक, 150 से 200, बच्चों पर 5 अध्यापक व प्रधानाध्यापक होगें।

✪ 200 से अधिक बच्चे होने पर 40 बच्चों पर 01 अध्यापक के अनुसार अध्यापक तथा 01 प्रधानाध्यापक होगा।

✪ कक्षा 6 से 8 वाले हर विद्यालय में 100 बच्चों तक प्रत्येक कक्षा हेतु निम्न विषयों के लिए कम से कम एक अध्यापक अवश्य होगा। 1. विज्ञान व गणित 2. सामाजिक विज्ञान 3. भाषा

100 से अधिक बच्चे होने पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा तथा 100 से अधिक बच्चे होने की स्थिति में 35 बच्चों पर 1 अध्यापक के अनुसार अध्यापक होगें।

✪ सभी अध्यापक विद्यालय में नियमित रूप से समय की पाबन्दी के साथ अपनी उपस्थिति बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होगें।

✪ अध्यापकों को दसवर्षीय जनगणना, आपदा, चुनाव आदि कार्यो एवं शैक्षिक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त किसी भी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता है।

✪ किसी भी अध्यापक को अन्य विद्यालय/कार्यालय में सम्बद्ध नहीं किया जा सकता।

✪ कोई भी अध्यापक निजी ट्यूशन तथा निजी शिक्षण नहीं कर सकता।

✪ अध्यापक प्रत्येक बच्चे की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता तथा प्रगति की जानकारी करेगा एवं उस प्रगति से उसके माता–पिता को भी अवगत करायेगा।

विद्यालयः–

✪ विद्यालय में हर अध्यापक के लिए एक कक्षा–कक्ष तथा एक कार्यालय/प्रधानाध्यापक कक्ष/भण्डारण कक्ष होगा।

✪ सभी विद्यालयों में बाउण्ड्री वाल (चहारदीवारी) व खेल का मैदान होगा।

✪ हर विद्यालय में रसोई घर होगा।

✪ बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

✪ सभी बच्चों के लिए स्वच्छ व पर्याप्त पेय जल की व्यवस्था की जायेगी।

✪ विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्र पत्रिकायें तथा कहानियों व विभिन्न विषयों की किताबें होंगी।

विद्यालय प्रबन्ध समिति का स्वरूपः

✪ विद्यालय प्रबन्ध समिति में कुल 15 सदस्य होगें जिनमें से 11 सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को माता–पिता अथवा संरक्षक होगें परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।

✪ शेष चार सदस्य निम्न व्यक्ति होंगें:–

(क) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित सदस्य (ख) एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिड वाईफ (ए0एन0एम0) में से लिया जायेगा। (ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल (घ) विद्यालय का हेड मास्टर इस समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।

✪ विद्यालय प्रबंध समिति के 11 संरक्षक सदस्यों में एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कम्जोर वर्ग के बालक के माता-पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे।

✪ विद्यालय प्रबंध समिति के 11 संरक्षक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा।

✪ विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव 11 संरक्षक सदस्यों में से ही आम सहमति से किया जायेगा।

कार्यकाल:-

✪ विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। दो वर्ष बाद पुनः इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।

✪ विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य एवं जिम्मेदारियाँ:

1. विद्यालय के काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी लेना/देखरेख करना।
2. यह सुनिश्चित करना कि सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में नियमिति रूप से समय पर आएं।
3. 6-14 वर्ष के सभी बालक/बालिकाओं का नामांकन एवं लगातार उपस्थिति को सुनिश्चित करना।
4. बच्चों को बिना भेदभाव व भय के शिक्षा का हक न मिलने पर स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करना।
5. विद्यालय से बाहर बच्चों का उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में नामांकन कराना तथा ऐसे बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की गुणवत्ता की देखरेख करना।
6. निशक्त/विकलांग बच्चों का नामांकन कराना तथा प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक इनकी सुविधाओं एवं भागीदारी की देखरेख करना।
7. यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक अभिभावकों की नियमित बैठक कर बच्चों की उपस्थिति एवं सीख में प्रगति के बारे में उन्हें बतायें।
8. मध्यान्ह भोजन की नियमितता एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना।
9. बच्चों के अधिकार एवं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून के बारे में आस-पास के लोगों को बताना।
10. देखरेख करना कि अध्यापकों पर जनगणना, चुनाव, आपदाराहत को छोड़कर अन्य गैर सरकारी कार्यो का भार न हो।
11. अध्यापक द्वारा निजी अध्यापन में रोक सुनिश्चित करना।
12. विद्यालय में कानून के मानक के अनुसार सुविधाएं एवं कार्य हों इसकी देखरेख करना।

13. विद्यालय को मिलने वाला अनुदान, सही तरीके से उपयोग किया जाए इसकी देखरेख करना।

14. विद्यालय प्रबन्ध समिति को मिलने वाली धनराशि का अलग से हिसाब-किताब रखना।

15. प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 200 कार्यदिवस तथा 800 शैक्षणिक घंटे एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 220 कार्यदिवस तथा 1000 शैक्षणिक घंटे की पढ़ाई सुनिश्चित कराना।

16. तीन साल के लिए विद्यालय विकास योजना बनाना।

17. विद्यालय विकास योजना को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के हस्ताक्षर के साथ सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास भेजना।

समिति के सदस्य विद्यालय आकर क्या देखेंगे:-

- समिति के सदस्य निम्न प्रारूप पर बच्चों/अध्यापकों की हाजिरी देख सकते हैं:-

क-उपस्थिति/हाजिरी

बच्चों की उपस्थिति दिनांक..................

कक्षा	नामांकित बच्चों की संख्या	उपस्थित बच्चों की संख्या	अनुपस्थित बच्चों की संख्या

अध्यापकों की उपस्थिति दिनांक..................

विद्यालय का प्रकार	कार्यरत अध्यापकों की सं0	उपस्थित अध्यापकों की सं0	अनुपस्थित अध्यापक का नाम

ख-विद्यालय में क्या है, क्या नहीं है-

नोटः- विद्यालय देखकर ( ) चिन्ह लगाएं

1. क्या मानक के अनुसार अध्यापकों की संख्या पूरी है? (हां/नहीं)
2. क्या विद्यालय में (बाउण्ड्रीवाल) चहारदीवारी है? (हां/नहीं)
3. क्या विद्यालय भवन की रंगाई पुताई की गई है? (हां/नहीं)
4. क्या विद्यालय में खेल की सामग्री है? (हां/नहीं)
5. क्या विद्यालय भवन में हर एक अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष हैं? (हां/नहीं)
6. क्या विद्यालय में प्रधानाध्यापक कक्ष है? (हां/नहीं)
7. क्या विद्यालय में पीने के पानी की साफ सुथरी व्यवस्था है? (हां/नहीं)
8. क्या विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय हैं? (हां/नहीं)
9. क्या विद्यालय में फूल-फुलवारी लगाई गई है? (हां/नहीं)
10. क्या विद्यालय में बाल पुस्तकालय का उपयोग हो रहा है? (हां/नहीं)
11. क्या विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामग्री (टी0एल0एम0)उपलब्ध है? (हां/नहीं)
12. क्या विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी/चटाई/कुर्सी मेज है? (हां/नहीं)
13. क्या मिड डे मील बनाने हेतु किचेन शेड है? (हां/नहीं)
14. क्या मिड डे मील बनाने हेतु उपयुक्त बर्तन हैं? (हां/नहीं)
15. क्या विद्यालय में कम्प्यूटर है? (हां/नहीं)

16. क्या विद्यालय में विद्युत व्यवस्था है? (हां/नहीं)

17. क्या विद्यालय में आग बुझाने वाला यंत्र है? (हां/नहीं)

18. क्या विद्यालय में विकलांग बच्चों के लिए रैम्प/रेलिंग है? (हां/नहीं)

विशेषः– समिति के सदस्य इसके अलावा कुछ अन्य सुविधाओं के होने न होने का विवरण भी दे सकते हैं।

ग– बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है

बच्चों के सीखने सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुः

सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से जानने की जिज्ञासा रखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में पूछताछ, खोजबीन, बातचीत आदि करते हैं। हर बच्चे की सीखने की रफ्तार तथा तरीका अलग–अलग होता है। अतः प्रत्येक बच्चे को उनके स्तर के अनुसार सीखने के अवसर मिलना चाहिए।

बच्चों को सीखने का बेहतर माहौल मिलना चाहिए। बच्चे अपने अनुभव के द्वारा स्वयं करके, स्वयं बनाकर, प्रयोग करके एवं पढ़कर सीखते हैं। शिक्षण में बच्चों को रटाने के स्थान पर समझ विकसित करने की जरूरत है।

विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, इसकी जानकारी करने के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य विद्यालय जाकर बच्चों से संवाद कायम कर उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जान सकते हैं। जिसका प्रारूप इस प्रकार हैः–

कक्षा 1 और 2 के लिए

हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषाः

बच्चों को कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिएः–
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः स्वरों का ज्ञान। क, ख, ग, घ, ङ से ज्ञ तक व्यंजन का ज्ञान। बिना मात्रा के शब्दों को पढ़ना और लिखना। मात्राओं (ा, ाा, ि, ी, ु, ू, े, ै, ो, ौ) का ज्ञान मात्रिक शब्दों को पढ़ना और लिखाना सरल वाक्यों की पहचान रंगों की पहचान अंग्रेजी के अक्षर A, B, C. D..............Z की जानकारी। शरीर के अंगों, फलों एवं पालतू जानवरों के नाम अंग्रेजी में जानना।

हिन्दी/अंग्रेजी की पढ़ाई कैसी चल रही है इसे जानने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछें:

1. बच्चों से अ, आ, इ, ई, उ, ऊ................सुनाने को कहें?
2. बच्चों से क, ख, ग, घ........................सुनाने को कहें?
3. बच्चों से कोई कविता सुनाने को कहें?
4. बच्चों को A, B, C. D..............Z तक पढ़ने और लिखने को कहें?

5. किताब के कुछ शब्दों को पढ़वा कर देखें?

6. किताब के किसी एक वाक्य को पढ़वा कर देखें?

7. लेखन पट्ट पर लिखे किसी एक शब्द को पहचानकर बोलने को कहें।

8. किताब से किसी शब्द को बोलकर बच्चों से लिखने को कहें।

9. बच्चों से अपने बारे में कुछ बोलने को कहें, फिर लिखने के लिए कहें।

10. बच्चों से वस्तुओं के रंगों की पहचान करायें।

जैसे–गुलाब का फूल किस रंग का होता है, पत्तियों का रंग कैसा होता है?

11. बच्चों से अपना नाम पिता का नाम, गांव का नाम, ग्राम प्रधान तथा शहरी क्षेत्र में मोहल्ला और मकान नं0 के बारे में पूछ सकते हैं।

गणितः

बच्चों को कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिएः–
अंदाज लगाकर छोटा–बड़ा, मोटा–पतला, कम–ज्यादा, पास–दूर, हल्का–भारी, ऊपर–नीचे आदि की जानकारी। 1 से 100 तक की गिनती की जानकारी। दो अंकों की संख्याओं का ज्ञान–इकाई, दहाई की जानकारी संख्याओं का बढ़ता एवं घटना क्रम दो संख्याओं का बिना हासिल लिए जोड़ और घटाना।

गणित की पढ़ाई कैसी चल रही है इसे जानने के इस प्रकार के प्रश्न पूछें:

1. आस–पास की चीजों के बारे में तुलना करवायें। जैसे बाल्टी और गिलास की तुलना करवा सकते हैं।

2. 100 तक गिनती सुनाने को कहें। (1 से 50 तक कक्षा 1 में) व (1 से 100 तक कक्षा 2 में)

3. दो अंकों की संख्या आप स्वयं लिखें तथा बच्चों से पढ़वाएं।

4. दो अंकों की संख्या बोलकर बच्चों से लिखवाएं और इकाई/दहाई के बारे में पूछें।

5. कुछ संख्याएं लिखकर उनमें से छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान कराएं। जैसे– 25, 45, 60 में कौन संख्या सबसे छोटी, बड़ी है।

6. बच्चों से साधारण जोड़ और घटाने के सवाल करायें।

टिप्पणीः– विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य इसी प्रकार के अन्य प्रश्न कर सकते हैं।

कक्षा 3, 4, 5

हिन्दी भाषा, अंगेजी भाषाः

बच्चों को कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिएः–
किसी विषय पर अपने विचारों को कह सकें। किताब के किसी छोटे हिस्से पर सही उच्चारण के साथ पढ़ना। सुनकर इमला लिख पाना देखकर सुलेख (सुन्दर व साफ) लिखना। कठिन शब्दों को बोलकर पढ़ना और लिखना।

शब्दों से वाक्य बनाना।
किसी विषय पर अपने मन से कम से कम पांच वाक्य लिखना।
बोलचाल के शब्दों को अंग्रेजी में बोलना।

हिन्दी/अंग्रेजी की पढ़ाई कैसी चल रही है इसे जानने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछें:-

1. बच्चों से किसी घटना, त्योहार, यात्रा आदि के बारे में बोलने को कहें।
2. बच्चे को किताब से कुछ पढ़ने को कहें।
3. आप स्वयं इमला बोलें और बच्चों से लिखने को कहें।
4. बच्चों की कापी देखकर उनकी लिखावट की जानकारी लें।
5. कुछ कठिन शब्दों को बोलकर बच्चों को लिखने को कहें फिर उसे पढ़वायें।
6. कुछ शब्द देकर बच्चों से वाक्य बनवायें।
7. बच्चों को किसी एक विषय जैसे-गांव, विद्यालय, गाय, मेला आदि पर कम से कम पांच वाक्य लिखने को कहें।
8. बच्चे से अंग्रेजी में अपने बारे में कुछ वाक्य बोलने को कहें जैसे:-

माई नेम इज मोहन
माई फादर्स नेम इज राम
आई हैव टू आईज

9. बच्चो से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम, राज्य का नाम, राजधानी का नाम आदि बताने को कहें।

गणित:

बच्चों को कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए:-

चार अंकों तक की संख्याओं (1 से 9999 तक) का ज्ञान।
तीन अंकों की संख्याओं को जोड़ना और घटाना।
दो अंकों की संख्याओं को गुणा करना।
तीन अंकों की संख्याओं में एक अंक का भाग करना।
02 से 20 तक का पहाड़ा
रूपये-पैसे का लेन-देन
भिन्न-आधा, चौथाई, तीन चौथाई का ज्ञान।
माप तौल-लम्बाई, वजन आदि की जानकारी।

गणित की पढ़ाई कैसी चल रही है इसे जानने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछें:-

1. चार अंकों की संख्या लिखकर बच्चों से पढ़ने को कहें।
2. चार अंकों की कोई संख्या आप स्वयं बोलें और बच्चों को लिखने को कहें।
3. तीन अंकों की संख्या के जोड़ एवं घटाने के इबारती सवाल हल करने को कहें।

जैसे- 1. राम की बाग में 535 आम के पेड़ हैं और मीना की बाग में 460 आम के पेड हैं, बताओं दोनों बागों में कुल कितने पेड़ हैं।

2. मेरे पास 250 रूपये थे, मैने 50 रूपये की किताब खरीद ली अब मेरे पास कितने रूपये बचे।

4. बच्चों से दो अंकों की संख्याओं का गुणा करवायें जैसे–एक कमीज की कीमत 80 रूपये है तो 06 कमीजों की कीमत बताओ।

5. तीन अंकों की संख्याओं में एक अंक का भाग करवायें जैसे–तुम्हारे पास 150 आम हैं, इन्हें पांच बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितने आम मिलेंगे।

6. बच्चों से 2 से 20 तक का पहाड़ा सुनाने को कहें।

7. बच्चों से रोजमर्रा के खरीदने या बेचने से सम्बन्धित प्रश्न करें जैसे मेले में जाने से पहले दादी ने आपको 100 रूपये दिए उसमें से आपने 15 रूपये के खिलौने खरीदे, 25 रूपये की मिठाई खरीदी। अब आपके पास कितने पैसे बचे।

8. बच्चों से भिन्न से सम्बन्धित कुछ सवाल करवायें जैसे मेरे पास 100 आम थे, मैंने आधे आम बच्चों में बांट दिए और एक चौथाई आम खुद खा लिए, अब मेरे पास कितने आम बचे।

9. बच्चों को एक दूसरे की लम्बाई नाप कर बताने को कहें।

घ. पिछले एक सप्ताह से लगातार स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान और कारणों का पता लगाना:

समिति के सदस्य विद्यालय के उपलब्ध लगातार अनुपस्थित बच्चों के रजिस्टर को देखकर निम्न सूचना प्राप्त कर सकते हैं तथा बच्चों के अभिभावकों से मिलकर अभिभावकों तथा बच्चों को नियमित विद्यालय आने हेतु प्रेरित कर सकते हैं।

क्र.सं.	बच्चे का नाम	पिता का नाम	बच्चे के विद्यालय न जाने का कारण

6. विद्यालय सम्बन्धी योजनाएं और अनुदान

योजनायें:

1. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति
3. मध्यान्ह भोजन
4. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यक उपकरण जैसे–सुनने के लिये कान की मशीन, ट्राई साईकिल, बैसाखी, ब्रेल बुक, विशेष प्रकार के जूते एवं चश्मा।
5. सभी बच्चों को यूनीफार्म तथा एन0पी0ई0जी0ई0एल0 योजनान्तर्गत बालिकाओं को स्कूल बैग।
6. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर।
7. 06 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का नामांकन आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में कराने के पश्चात विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था।
8. बालिकाओं की व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत–अचार, मुरब्बा बनाना, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग, कैंडिल, अगरबत्ती आदि बनाना, सिखाना।

9. एन0पी0जी0ई0एल0 योजनान्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं हेतु झूला, साइकिल, सिलाई कढ़ाई मशीन की व्यवस्था।

10. मीना मंच कार्यक्रम के तहत मीना किट, मीना कहानी की पुस्तकें, फिल्म की सी0डी0 आदि की व्यवस्था।

11. के0जी0बी0वी0 भवन की स्थापना, जिसमें आवासीय व्यवस्था के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग 100 बच्चियों का कक्षा–6, कक्षा–7, कक्षा–8 में प्रवेश होता है इसमें भोजन, किताबें, ड्रेस आदि की निःशुल्क व्यवस्था होती है।

12. कक्षा 1–5 तक प्रत्येक कक्षा के अनुसूचित जाति/जनजाति के एक–एक मेधावी बच्चे को प्रोत्साहन पुरस्कार।

अनुदानः

क्र0सं0	मद का नाम		अनुदान की धनराशि	प्रति इकाई
1.	विद्यालय विकास अनुदान	प्राथमिक	रू. 5000.00	प्रति वर्ष
		उच्च प्राथमिक	रू. 7000.00	
2.	विद्यालय अनुरक्षण अनुदान		रू. 7500.00	प्रति वर्ष
3.	शिक्षा मित्र मानदेय		रू. 3500.00	प्रति व्यक्ति प्रति माह
4.	मदरसा/वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशक मानदेय		रू. 2000.00	प्रति वर्ष
5.	शिक्षकों को टी.एल.एम. निर्माण हेतु		रू. 500.00	प्रति वर्ष प्रति अध्यापक

7. विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा चिन्हित समस्याओं को सुलझाने के लिए किए जाने वाले प्रयासः

क्रम सं0	सम्भावित समस्याऐं	समस्या को सुलझाने के लिये किये गये प्रयास	समस्या से सम्बन्धित सुझाव
1.	बच्चों के नामांकन से सम्बन्धित		
2.	अध्यापकों की संख्या से सम्बन्धित		
3.	विद्यालय में होने वाली पढ़ाई से सम्बन्धित		
4.	विद्यालय में भवन तथा उसके रखरखाव से सम्बंधित		
5.	कक्षा शिक्षण में सहायक सामग्री से सम्बन्धित		
6.	पुस्तकों व अन्य सामग्री से सम्बन्धित		
7.	मध्यान्ह भोजन से सम्बन्धित		

बच्चों के विद्यालय न आने के सम्भावित कारण एवं निदान हेतु कुछ सुझाव

कारण	निदान
घरेलू कार्यो में सहयोग/खेती के कार्य में हाथ बटाना	विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य अभिभावकों को यह समझायें कि पढ़ने की आयु में बच्चे को पढ़ने का हक है जो उनसे न छीने। बच्चे घर में उनका सहयोग करने के साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं बालिकाओं को भी बालकों के समान शिक्षा पाने का अधिकार है।
छोटे भाई बहिन की देखभाल	प्रत्येक गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जो ज्यादातर विद्यालय में ही संचालित है इन केन्द्रों पर तीन से छः वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र में भेजकर बड़े बच्चे विद्यालय में पढ़ सकते हैं।
मजदूरी	अभिभावकों को यह समझाकर प्रेरित करें कि बाल मजदूरी कानूनी रूप से अपराध है पढ़ने लिखने की आयु में उन्हें मजदूरी के लिए न बोलें अपितु उन्हें विद्यालय भेंजें।
विकलांगता	ऐसे बच्चों के अभिभावकों को यह समझायें कि विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था है, उनके लिए उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं ऐसे बच्चों के लिए प्री-इंटीग्रेशन कैम्प संचालित किये जाते हैं। जिनमें ऐसे बच्चों को नामांकित कराकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है।
अनाथ/एकल अभिभावक वाले बच्चे	अनाथ बच्चों या ऐसे बच्चे जिनके केवल माता या पिता में से एक है उनको विद्यालय जाने के अवसर देने के विशेष प्रयास किये जायें यदि ऐसी कोई बालिका है तो उसका नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कराया जा सकता है।
अभिभावक द्वारा शिक्षा को महत्व न देना	इस समस्या से ज्यादातर बालिकायें प्रभावित होती है ऐसे परिवारों में जाकर अभिभावकों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिये जाने वाली सुविधाओं की जानकादी दें ऐसी बालिकाओं के अभिभावकों को जागरूक तथा संवेदनशील बनाने के लिए पढ़ी लिखी सफल बालिकाओं तथा माहिलाओं से वार्तालाप करायें।

विद्यालय विकास योजना क्या है?

विद्यालय विकास योजना विद्यालय का एक दस्तावेज है, जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक विद्यालय की विकास हेतु विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से बनाया जाना है। विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत तीन सत्र में आने वाली चुनौतियों एवं आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाकर कार्य योजना बनायी जाएगी। इसके आधार पर प्रत्येक वर्ष उप योजना बनायी जायेगी।

विद्यालय विकास योजना के मुख्य मुद्देः

हमारे आपके सपनों का विद्यालय कैसा हो? बच्चों के सपने का विद्यालय कैसा हो? ये विद्यालय कैसे हमारे बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा पावें और विद्यालय में साधन सुविधाएं मानकों के अनुरूप हो। जहाँ बच्चों के अधिकार उन्हें आसानी से मिल रहे हो। लोगों को विद्यालय अपना लगे। इस सब बातों का ख्याल रखते हुए विद्यालय विकास योजना का निर्माण करें:

- विद्यालय विकास योजना का निर्माण विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।
- विद्यालय विकास योजना तीन साल की एक साथ बनाई जायेगी। इसके आधार पर ही प्रत्येक वर्ष की एक उप योजना बनायी जायेगी।
- विद्यालय विकास योजना सरकार और ग्राम पंचायत द्वारा बनायी जाने वाली योजनाओं एवं उपलब्ध कराये जाने वालें अनुदानों पर आधारित होगी।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व अर्थात दिसम्बर माह तक अगले वर्ष की उप कार्य योजना तैयार कर लेगी।
- हर साल की विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी के पास जिस वित्तीय वर्ष की योजना बनायी गयी है। उस वित्तीय वर्ष के पहले के वित्तीय वर्ष के माह मार्च की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत कर दी जायेगी।